कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला–महासमुंद (छ.ग.)

क्रमांक / 3592 / पशु चिकि. / रो.उ. / 2026–27 / महासमुंद, दिनांक 18.08. 2026

आदेश

संचालनालय पशु चिकित्सा सेवायें छ.ग. रायपुर का पत्र क्रमांक 4643 / रो.अ. / 2026–27 नवा रायपुर, दिनांक 17.08.2026 के द्वारा ग्राम छिलपावन, झलप जिला–महासमुंद के सूकर में African Swine Fever (ASP) होने की पुष्टि NIHSAD Bhopal के पत्र क्रमांक F.No. 15-57/2012-NIHSAD Dated 17.08.2026. द्वारा की गयी है। यह रोग सूकरों के लिए अत्यधिक संक्रमित विषाणु जनित रोग है परंतु सूकर के द्वारा मनुष्यों में यह रोग नही फैलता है।

शासन के दिशा–निर्देश Prevention and Control of Infectious and Contagious Disease in Animal Act 2009 अनुसार सूकरों में संक्रामक रोग की रोकथाम एवं नियत्रंण हेतु Department of Animal Husbandry and Dairying, Government of India द्वारा जारी National Action Plan for Control, Containment and Eradication of African Swine Fever June 2020 के अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें –

1. उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें महासमुंद एक्शन प्लॉन के निर्देशानुसार इनफेक्टेड जोन में उपलब्ध सूकरों की कलिंग, सर्विलेंस एवं सैनीटाईजेशन का कार्य करेंगे। इनफेक्टेड जोन के प्रभावित पशुपालकों के सूकरों एवं उनके आहार का विनिष्टीकरण करेंगे, जिसकी क्षतिपूर्ति भारत सरकार द्वारा निर्धारित दर पत्र दिनांक 28.05.2020 अनुसार की जावेगी।
2. आवश्यक क्वारेनटाईन एवं इनफेक्टेड जोन में सूकर कटिंग, सूकर उत्पाद के विक्रय की दुकानों को बंद रखने की कार्यवाही, मुआवजा आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता तहसीलदार के सहयोग से उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें द्वारा की जावेगी।
3. **संक्रमित क्षेत्र के 01 किलोमीटर रेडियस क्षेत्र को "इनफेक्टेड जोन" एवं 01 से 10 किलोमीटर के रेडियस क्षेत्र को "सर्विलेंस जोन" घोषित करेंगे।**
4. रेपिड रिस्पान्स टीम का गठन व उनके द्वारा निर्धारित कार्यो का संपादन गाईडलाईन के अनुसार उप संचालक द्वारा किया जावेगा। पी.पी.ई.किट की रेपिड रिस्पान्स टीम को पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।
5. इनफेक्टेड जोन से 10 किलोमीटर जोन में नेशनल एक्शन प्लॉन (चैप्टर 8) अनुसार जीवित सूकरों तथा उनके उत्पाद आदि की आवाजाही पूर्णतः बंद रखने की कार्यवाही तहसीलदार, पुलिस परिवहन अधिकारी के माध्यम से की जावेगी।
6. इनफेक्टेड जोन के सूकरों को National Action Plan for Control, Containment and Eradication of African Swine Fever June 2020 (चैप्टर 7, एनेक्जर 5) के अनुसार रेपिड रिस्पान्स टीम द्वारा कलिंग किया जावें।
7. मृत सूकरों व कलिंग किये गये सूकर, संक्रमित एवं सूकर आहार का National Action Plan for Control, Containment and Eradication of African Swine Fever June 2020 अनुसार डिस्पोजल एवं डिसइन्फेक्शन किया जावें।
8. कलिंग किये गये सूकर एवं विनिष्टिकरण किये गये सूकर आहार इत्यादि को भारत सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुरूप मुआवजा प्रदाय करने की कार्यवाही करें।

क्रमशः......

9. राज्य शासन तथा भारत शासन को कलिंग डिस्पोजल डिसइन्फेक्शन, सर्विलेंस मुआवजा इत्यादि की प्रतिदिन रिपोर्टिंग उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें कार्यालय से की जावेगी।

National Action Plan for Control, Containment and Eradication of African Swine Fever June 2020 अनुरूप अन्य प्रावधानित कार्य सुनिश्चित करेंगे।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

कलेक्टर
जिला–महासमुंद

कमांक/3493**/पशु चिकि./रो.उ./2026–27/** **महासमुंद, दिनांक** 18.08. **2026**
प्रतिलिपि :–

1/ सचिव, कृषि (पशुधन विकास विभाग) छ.ग. शासन मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2/ संचालक, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ब्लॉक– 02, द्वितीय तल, इंद्रावती भवन, नया रायपुर को सूचनार्थ।
3/ वनमंडलाधिकारी, सामान्य वनमंडल, जिला महासमुंद को सूचनार्थ।
4/ संयुक्त/उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवायें, जिला .... (समस्त) छ.ग. को निर्देशित है कि उक्त रोग से बचाव हेतु Prevention and Control of Infectious and Contagious Disease in Animal Act 2009 अनुसार National Action Plan for Control, Containment and Eradication of African Swine Fever June 2020 के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।
5/ उप संचालक, राज्य स्तरीय रोग अन्वेषण प्रयोगशाला, पंडरी, रायपुर को सूचनार्थ।
6/ एस्काड शाखा, संचालनालय पशु चिकित्सा सेवायें, अटल नगर, नवा रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ।
7/ सहायक जनसम्पर्क अधिकारी, कलेक्टर कार्यालय महासमुंद को शासन द्वारा निर्धारित वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु अग्रेषित।
8/ पुलिस अधीक्षक, जिला महासमुंद को सूचनार्थ।
9/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत महासमुंद को सूचनार्थ।
10/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत (समस्त) जिला महासमुंद को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
11/ अनुविभागीय अधिकारी राजस्व जिला–महासमुंद को सूचनार्थ एंव पालनार्थ।
12/ तहसीलदार, महासमुंद को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13/ स्टेनो टू कलेक्टर जिला महासमुंद को सूचनार्थ।

कलेक्टर
जिला–महासमुंद